512

संख्या – /XLI-1/15–42(प्रशि0)/2015.

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2015

विषयः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), निरंजनपुर, देहरादून के 100 छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या 135/XLI-1/15–42(प्रशि0)/2015 दिनांक 30.3.2015, एवं आपके पत्र संख्या स्था0/0903/क्लासरूम/2368 दिनांक 04.11.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–2, देहरादून द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹340.52लाख {₹298.06लाख सिविल कार्य + ₹42.46लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} में से अब तक अवमुक्त की जा चुकी धनराशि ₹227.00लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹113.52लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु उल्लिखित धनराशि ₹113.00लाख(₹एक करोड़ तेरह लाख मात्र) की भी वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यदि वर्तमान में स्वीकृत धनराशि को विभाग अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में रखा जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज को यथासमय राजकोष/कोषागार की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. शेष शर्तें/प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या : 135/XLI-1/15–42(प्रशि0)/2015 दिनांक 30.3.2015, के अनुसार यथावत लागू होंगे।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का 90% निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ही कार्यदायी संस्था को प्रदान किया जाएगा तथा शेष 10% निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भवन के निरीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुति/सहमति तथा संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा भवन को कब्जे में लिए जाने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या 16' के 'आयोजनागत/पूँजीगत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य –आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण–00 के अन्तर्गत मानक मद "24–वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1512160119 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

7. यह आदेश वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 972 (1)/XLI(1)/15–42(प्रशि0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी/देहरादून।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), निरंजनपुर, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–2, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, हर्रावाला, देहरादून ।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - **946/XLI-1/15-42(train)/2015**

अनुदान संख्या - **016**

अलोटमेंट आई डी - **S1512160119**

आवंटन पत्र दिनांक -09-Dec-2015

HOD Name - Director Training (4635)

1: **लेखा शीर्षक**

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय
001 - निदेशन तथा प्रशासन
00 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

80 - सामान्य
07 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकर

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	12857000	11300000	24157000
	12857000	**11300000**	**24157000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 11300000